बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
<u>आदेश</u>

पटना, दिनांक......................

संख्या–08/आ०–05–26/2023............./जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–1624 दिनांक–26.05.2023 द्वारा श्री नवल किशोर सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धनरूआ, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त के विरूद्ध आरोप–पत्र उपलब्ध कराते हुए निलंबित एवं अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी। उक्त आरोप–पत्र पर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक–875 दिनांक–12.09.2023 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 17(4) के तहत श्री नवल किशोर सिंह से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गई। जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक–64 दिनांक–03.01.2024 द्वारा पूरक आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए पुनः निलंबित करने की अनुशंसा की गयी। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक–875 दिनांक–12.09.2023 के आलोक में श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उनके विरूद्ध आरोप पत्र की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

आरोप की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 972 दिनांक 25.10.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से श्री नवल किशोर सिंह को निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन किया गया तथा श्री सिंह का मुख्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय, भोजपुर निर्धारित किया गया। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 1105 दिनांक 11.12.2024 द्वारा श्री सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 30.11.2024 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही में सम्परिवर्तित किया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 2739 दिनांक 30.06.2024 एवं पत्रांक 3712 दिनांक 06.09.2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र के आलोक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 127 दिनांक 31.01.2025 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र गठित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 355 दिनांक 04.12.2025 द्वारा उक्त अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 972

दिनांक 25.10.2024 द्वारा गठित आठ आरोपों में से एक आरोप को छोड़कर तथा निदेशालय के पत्रांक 127 दिनांक 31.01.2025 द्वारा गठित दस पूरक आरोपों में से पाँच पूरक आरोपों को छोड़कर शेष पाँच पूरक आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। उक्त प्रमाणित प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 84 दिनांक 12.01.2026 द्वारा श्री सिंह से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। तदालोक में श्री सिंह द्वारा दिनांक 16.03.2026 को लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया। आरोपी पदाधिकारी, श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत स्थिति निम्नवत् हैः–

1. संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि श्री राकेश कुमार रंजन, प्रखंड शिक्षक, मध्य विद्यालय विजयपुरा, धनरूआ से सेवापुस्त के सत्यापन हेतु आरोपी पदाधिकारी द्वारा नाजायज राशि की मांग के संबंध में वायरल ऑडियो से संबंधित आरोपी पदाधिकारी, श्री सिंह का बचाव अभिकथन संतोषजनक नहीं है। वायरल ऑडियो क्लिप के संबंध में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्था०), पटना के पत्रांक 4904 दिनांक 23.05.2023 द्वारा की गई पृच्छा के आलोक में श्री सिंह के पत्रांक 418 दिनांक 25.05.2023 के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में वायरल ऑडियो की पुष्टि की गई है। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित होता है।

2. अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी, पटना के पत्रांक 297 दिनांक 11.05.2023 के आलोक में श्री सिंह के लिखित बचाव अभिकथन के साथ संलग्न उनके पत्रांक 447 दिनांक 05.06.2023 एवं पत्रांक 448 दिनांक 05.06.2023 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पथरघट, मसौढ़ी, पटना में व्याप्त अनियमितता की जाँच श्री सिंह के द्वारा स्वंय न करते हुए प्रखंड साधन सेवी से जाँच करायी गई, जो आरोप को प्रमाणित करता है।

3. मध्य विद्यालय, पथरघट, मसौढ़ी, पटना में छात्राओं के लिए शौचालय की अलग व्यवस्था करने के संबंध में वरीय पदाधिकारी द्वारा दिये गये निदेश के बावजूद श्री सिंह द्वारा वस्तुस्थिति से जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को अवगत नहीं कराया गया। इस प्रकार यह आरोप प्रमाणित होता है।

4. श्री सिंह के पत्रांक 560 दिनांक 30.06.2024 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके प्रखंड अंतर्गत कुल 241 विद्यालयों में से दिनांक 29.06.2024 तक केवल 143 विद्यालयों में ई–शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज करायी गई थी। शेष 98 विद्यालयों में ई–शिक्षा कोष पर उपस्थिति दर्ज नहीं करायी गई थी। इस प्रकार यह पूरक आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होता है।

5. श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन में निर्गत पंजी के क्रम संख्या को खाली रखने संबंधी आरोप को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार यह पूरक आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त प्रमाणित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में वायरल ऑडियो की पुष्टि की गई है एवं निरीक्षण करने हेतु प्रखंड साधन सेवी से जाँच कराए जाने, मध्य विद्यालय, पथरहट में छात्राओं के लिए शौचालय के

अलग व्यवथा का कार्य नहीं किए जाने, अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी द्वारा किए गए स्पष्टीकरण का जबाव नहीं देने, ई–शिक्षा कोष पर शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज नहीं होने एवं कार्यालय के निर्गत पंजी के क्रम संख्या को खाली रखने से संबंधित आरोप प्रमाणित हैं। इस संबंध में इनका लिखित अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है। श्री सिंह द्वारा सरकारी कार्यों में उदासीनता बरती गई है एवं अपने कर्त्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन समुचित तरीके से नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत श्री नवल किशोर सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धनरूआ, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत चार वर्ष के लिए 05% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। उक्त दण्ड की प्रविष्टि श्री सिंह की सेवा पुस्त में की जायेगी।

इसके साथ ही मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह० / –
(विक्रम विरकर)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

ज्ञापांक–08 / आ०–05–26 / 2023......527......   पटना, दिनांक–21/04/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–17, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी / जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–उपस्थापन पदाधिकारी, पटना / जिला शिक्षा पदाधिकारी, भोजपुर / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), पटना / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), भोजपुर / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी / श्री नवल किशोर सिंह, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, धनरूआ, पटना–सम्प्रति–सेवानिवृत्त, पत्राचार का पता– ग्राम–बसंतपुर झिटकाहीं, पो०–विष्णुपुर बघनगरी, थाना–सकरा, मुजफ्फरपुर–803105 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे संबंधित को ई–मेल करना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

21/04/26

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)